न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु. कोलायत
पीठासीन अधिकारी सावंरमल रैगर आर.ए.एस

वाद संख्या 34 / 2024

कन्हैयालाल उपाध्याय पुत्र सीताराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर ।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

प्रतिवादी

दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं 151 सी.पी.सीउपस्थिति

1. श्री हनुमानगिरि वकील वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत

निर्णय दिनांक 12/9/25

वादी द्वारा इस आशय का एक वादपत्र जरिये वकील श्री हनुमानगिरि ने प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी ग्राम बज्जू तहसील कोलायत जिला बीकानेर का स्थाई निवासी एवं काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। वादी के नाम से उपनिवेशन तहसील गजनेर मु. कोलायत के ग्राम बीठनोक के खसरा नम्बर 556 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा बरानी खातेदारी सुदा स्थित है । जो वादी द्वारा खरीद की गई भूमि है।

..........2

(सॉवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

जिसपर वादी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। वादी का सही नाम कन्हैयालाल उपाध्याय है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते समय सहवन से कन्हैयालाल लिख दिया गया है वादी सही नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है सर्व प्रथम प्रकरण दर्ज किया गया प्रतिवादी को जरिये समन से तलब किया गया है पैरोकार राज एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने अपने जवाब में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कन्हैयालाल दर्ज हैं। वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबुत के रूप में आधार कार्ड , पैन कार्ड , राशन कार्ड कि छाया प्रति प्रस्तुत की विद्ववान अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो , दस्तावेजों , पैरोकार राज के जवाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि वादी का नाम कन्हैयालाल के स्थान पर कन्हैयालाल उपाध्याय किया जाना उचित है कन्हैयालाल उपाध्याय नाम की दुरूस्ती की जाती है एवं उपनिवेशन तहसील गजनेर मुख्यालय कोलायत को निर्णय की प्रति भेजकर निदेर्शित किया जाता है कि दुरूस्ती अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम की शुद्धि कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करवाया जावें निर्णय आज दिनांक 12/09/2024 को खुले इजलास सुनाया गया पत्रावली नम्बर सुमार से कम होकर दाखिल दफतर हो।

12/9/24

(सांवरमल रैगर)
आर.ए.एस
(सांवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत